राजस्थान स्टेट सीड्स कोर्पोरेशन लिमिटेड
(CIN-U75132RJ1978SGC001781)
न्यू कृषि मण्डी यार्ड, उदयपुर
Web-www.rajseed.org, Email-rajseedsudaipur@gmail.com, Phone No.-9660640421

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उदयपुर

क्रमांक: एफ ( )/उदयपुर/राजसीड्स/2026-27/184 दिनांक: 01.05.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. बांसवाडा इकाई पर वर्ष 2026-27 के लिए रॉ बीज एवं अण्डरसाईज के भण्डारण की सुविधा हेतु बांसवाडा जिला मुख्यालय पर निर्मित गोदाम लगभग 10,000 वर्गफिट किराये पर लेने हेतु जिसका अनुमानित राशि 9,90,000/- अक्षरे नौ लाख नब्बे हजार रु. मात्र की निविदा दिनांक 12.05.2026 को प्राप्त 11.00 बजे ठिकरिया, बांसवाड़ा स्थित इकाई परिसर में किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति धरोहर राशि 19,8000/- अक्षरे उन्नीस हजार आठ सौ रू. दिनांक 11.05.2026 को सांय 05.00 बजे तक बांसवाडा इकाई पर जमा कराकर निविदा में भाग ले सकता है। विस्तृत विवरण/जानकारी https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा कार्यालय समय प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक संयंत्र प्रबंधक, रा.रा.बी.नि. ठिकरिया, बांसवाड़ा इकाई के मो. 7300487044 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

UBN :- SD2627SSOB00006 (डॉ. हीरसिंह राठौड़) क्षेत्रीय प्रबंधक

राजस्थान आवासन मण्डल
(A State Govt.enterprise constituted under RHB Act 1970)
वृत्त-उदयपुर
"salumber Chauhara, Sector 11, Udaipur-313002 Email-DHCUDPR.RHB@RAJASTHAN.GOV.IN

पत्र क्रमांक:-उप.आ.आ./वृत्त-उदय/2025-26/943 दिनांक :-22.12.2025
Registered

-: जाहिर आम सूचना (दौहरा रजिस्ट्री नामान्तरण):-

आवास संख्या A-73 माप 36.00 वर्ग यार्ड योजना दक्षिण विस्तार आवासीय योजना शहर उदयपुर द्वारा श्री भूरा लाल पिता श्री धुल सिंह को आवंटन पत्रांक 1455 दिनांक 24.12.2012 को आवास का आवंटन कर भौतिक कब्जा दिनांक 12.04.2013 को दिया गया। उक्त आवास का अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 123 दिनांक 24.04.2013 द्वारा श्री भूरा लाल पिता श्री धुल सिंह को जारी किया गया। इस आवास का प्रथम पंजीयन दिनांक 30.04.2013 को श्री भूरा लाल पिता श्री धुल सिंह द्वारा अपने पक्ष में करवाया गया।

पंजीयन उपरान्त श्री भूरा लाल पिता श्री धुल सिंह ने उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 30.04.2013 को श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री बसन्त लाल दर्जी के पक्ष में किया गया। कार्यालय पत्रांक 3595 दिनांक 18.02.2014 द्वारा श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री बसन्त लाल दर्जी को नाम हस्तान्तरण कार्यालय आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री बसन्त लाल दर्जी ने आवास का जरिये मुख्तियार नामा आम (पंजीकृत) श्री भूपेश कुमार पिता श्री घनश्याम लाल दिनांक 08.01.2015 को नियुक्त किया। श्री भूपेश कुमार पिता श्री घनश्याम लाल ने उक्त आवास का बैचान मुख्तियार नामा आम धारक की हैसियत से जरिये विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 24.02.2015 को श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा के पक्ष में किया गया। कार्यालय पत्रांक 1056 दिनांक 08.12.2023 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा को नाम हस्तान्तरण कार्यालय आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री ओमप्रकाश शर्मा ने उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 26.12.2023 को श्री भाणी लाल पटेल पिता श्री दल्ला जी के पक्ष में किया गया। कार्यालय पत्रांक 3046 दिनांक 13.03.2024 द्वारा श्री भाणी लाल पटेल पिता श्री दल्ला जी को नाम हस्तान्तरण कार्यालय आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात श्री भाणी लाल पटेल पिता श्री दल्ला जी ने उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 07.04.2025 द्वारा श्रीमती कडूली देवी पत्नी श्री कडुआ राम के पक्ष में किया गया। श्रीमती कडूली देवी पत्नी श्री कडुआ राम ने इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास को विक्रय पत्र (पंजीकृत) के आधार पर अपने नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

श्रीमती कडूली देवी पत्नी श्री कडुआ राम ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को उनके नाम कर दिया जावें।

अत: इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10, दिवस के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण आवास संख्या A-73, दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर का नामान्तरण श्रीमती कडूली देवी पत्नी श्री कडुआ राम के पक्ष में हस्तानान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-उदयपुर

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/तामिर/2026/1070 दिनांक :1.5.2026

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुद्वा/पट्टा शुद्वा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर भवन निर्माण में कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति कापता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्रीमती ललिता देवी पुरोहित पत्नि श्री गोपाल पुरोहित निवासी-नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-03 क्षेत्रफल- 6142 वर्गफिट, जयश्री कॉलोनी, कनवा ,नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-04	भूखण्ड संख्या-02	30 फिट रोड	अन्य कृषि
2.	सुश्री भूमिका सिंह राठौड़ पिता श्री श्रवण सिंह राठौड़ निवासी-उदयपुर	भूखण्ड संख्या-39 क्षेत्रफल- 1320 वर्गफिट, मोहन हाईट्स उपली ओडन, नाथद्वारा	40 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-26	भूखण्ड संख्या-40	भूखण्ड संख्या-38

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय ग्राम पंचायत माण्डवाफला, पंचायत समिति ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- ग्रा.प./मा.फ/2026-27/14 दिनांक: 23.4.26

-: ई निविदा सूचना- 01/2026-27 :-

ग्राम पंचायत माण्डवाफला में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 07.05.2026 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB No 1. ZUD2627A0334
UBN No 1. ZUD2627GLOB00444
Tender ID :- 2026_PRD_554631_1

प्रशासक, ग्राम पंचायत माण्डवा फला, पं.स. ऋषभदेव जिला उदयपुर
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत माण्डवा फला, पं.स. ऋषभदेव जिला उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत पानवा, पंचायत समिति ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- ग्रा.प./पानवा/निविदा/13 दिनांक- 23.4.2026

-: ई निविदा सूचना- 01/2026-27 :-

ग्राम पंचायतपानवा में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 07.05.2026 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB No 1. ZUD2627A0333
UBN No 1. ZUD2627GLOB00442
Tender ID :- 2026_PRD_554627_1

प्रशासक, ग्राम पंचायत पानवा, पं.स. ऋषभदेव जिला उदयपुर
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पानवा, पं.स. ऋषभदेव जिला उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत आकोला
पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक : ग्रा.पं. आकोला/स्वामित्व/2026-2027/05 दिनांकः 30/04/2026

-: आम सूचनाः-

स्वामित्व योजना ड्रोन एवं सर्वेक्षण कार्य के सबन्ध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस (उजरदारी पत्र) स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की समयावधि में पट्टा वितरण हेतु राज, पंचायतीराज नियम- 1996 के नियम-148 के परन्तुक के प्रावधान अनुसार 07 दिवस (1) जरिये हाजा इश्तियार के आप राजस्व ग्राम आकोला, सुखड़िया, देवली, हरजीबुझ की भागल, खेड़ी, ग्रा.प. आकोला, पं.स.भीण्डर, जि. उदयपुर के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वामित्व योजना के आबादी भूमि के सीमाज्ञान ड्रोन सर्वे के पश्चात ग्रा.प. को भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप 2.0 प्राप्त है प्राप्त ड्रोन इमेज एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य का आम जन के अवलोकन हेतु सर्वेक्षण कार्य व ड्रोन इमेज मैप-2.0 का प्रकाशन (चस्पागी) निम्न सदृश्य स्थल पर किया जाता है।

(1) राजीव गांधी सेवा केन्द्र आकोला, नोटिस बोर्ड
(II) आम चौराहा- आकोला, सुखड़िया, देवली, हरजीबुझ की भागल, खेड़ी

यदि आबादी भूमि ड्रोन ईमेज मेपः 2.0 एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य में यदि किसी आमजन को किसी भी प्रकार से आपत्ति हो तो इस कार्यालय को कार्यालय समय में लिखित मय कारण के आपति पत्र मय साक्ष्य के साथ- 07 दिन के भीतर प्रेषित करें बाद मियाद गुजर जाने पर प्रेषित आपति अमान्य रहेगी निर्धारित अवधि में कोई आपति दर्ज नहीं होने पर योजना के दिशा निर्देश अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी सो सूचित रहे। यह आक्षेप आमंत्रण नोटिस आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर के साथ जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आकोला
पंचायत समिति भीण्डर

रात्रि चौपाल में जिला कलक्टर देशल दान ने सुनी परिवेदनाएं

डूंगरपुर, (निसं)। जिला कलक्टर देशल दान ने गुरूवार सायं पुलिस थाना चौकी डूंगरपुर कोतवाली, सीएचसी गैंजी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांच की। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में जहां कमी पाई गई वहां सुधार के सख्त निर्देश प्रदान किये। इसके साथ ही उन्होंने करावाडा में संध्या चौपाल एवं रात्रि चौपाल में योजनाओं की जानकारी दी एवं परिवेदनाओं सुना।

जिला कलक्टर देशलदान ने सबसे पहले पुलिस कोतवाली थानाडूंगरपुर में निरीक्षण किया जहां निरीक्षण के दौरान चाक चौकबंद व्यवस्थाएं देखने मिली। थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने नियुक्त स्टॉफ, सूचना संकलन, दस्तावेज संधारण, रिकार्ड, ऑनलाईन रिपोर्टिंग, बीट क्षेत्र, दर्ज प्रकरण, की गई कार्यवाही आदि के बारें में विस्तार से जानकारी प्रदान की। जिला कलक्टर देषलदान ने ऑनलाईन प्रकरण दर्ज होने तथा रिपोर्टिंग के बाद कार्यवाही की प्रक्रिया को जाना तथा संधारित दस्तावेजों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाना, एचएम कार्यालय, रीडर रूम, हवालात, स्वागत कक्ष आदि का अवलोकन किया एवं अनुभाग वार संपादित होने वाली गतिविधियों की जानकारी ली। जिला कलक्टर देषलदान ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनायें रखने के लिए समय-समय पर पुलिस विभाग द्वारा किये जाने वाले नवाचारों, प्रयासों की भी जानकारी ली। इससे पहले जिला कलक्टर के पुलिस कोतवाली थाना में पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गुरूवार देर सायं जिला कलक्टर देषलदान सीएचसी गैंजी के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचें जहां पर आकस्मिक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों का प्राथमिक उपचार कर एम्बूलेंस 1०8 से रेफर किया जा रहा था। घायलों के प्राथमिक उपचार होने तथा रेफर होने के पष्चात जिला कलक्टर देशल दान ने सीएचसी का सघन निरीक्षण किया तथा नियुक्त चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी, लेब टेक्नीषियन, सफाईकर्मी, गार्ड की जानकारी ली

। उन्होंने एमसीएच, लेबर रूम, वेक्सीनेशन रूम, लेबोरेटरी, प्रसूता वार्ड आदि का सघन निरीक्षण करते हुए सभी चिकित्सकीय संसाधनों की क्रियाशीलता की भी जांच की। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वार्मर मषीन को शुरू करवा कर देखा। उन्होंने नर्सिंग कर्मी के मषीनों को शुरू नही कर पाने पर रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि समस्त स्टॉफ को मशीनों का सही-सही और पूर्ण उपयोग आना चाहियें। उन्होंने चिकित्सकों एवं स्टॉफ को सीएचसी में उपलब्ध चिकित्सकीय संसाधनों का बेहतर तरीके से पूर्ण उपयोग करने के लिए पाबंद किया।

निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर देशल- दान ने सीएचसी में प्रतिदिन की ओपीडी तथा की गई जांचों का भी संधारित दस्तावेजों को जांचते हुए गहन निरीक्षण किया तथा ओपीडी के मुकाबले कम जांचों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पर्याप्त स्टॉफ होने के बावजूद कोताही बरतने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अंलकार गुप्ता को दुरभाष पर तत्काल निर्देश देते हुए कार्य में कोताही बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये। इस दौरान उन्होंने निशुल्क दवा वितरण व्यवस्थाओं को देखते हुए दवाईयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। जिला कलक्टर देशल दान ने प्रसुता वार्ड में प्रसुताओं के साथ आई महिला परिजन से संवाद किया तथा नि:षुल्क दवाई मिलने, नि:शुल्क भोजन मिलने, प्रसुता के सीएचसी तक पहुंचने के लिए 108 की उपलब्धता आदि की विस्तार से जानकारी ली, जिस पर महिला परिजन ने समय पर 108 के आने, नि:शुल्क दवाईयां मिलने, प्रसुता को दुध, बिस्किट, हलवा आदि भोजन नि:शुल्क मिलने की जानकारी देते हुए व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया।

इस दौरान चिकित्सालय पहुंचें गैंजी ग्रामवासियों ने गांव में अतिक्रमण हटवाने, साफ-सफाई व्यवस्थाओं को दुरस्त करवाने, सडकें सही करवाने तथा गांववासियों की समस्याओं का समाधान करने हतु रात्रि चौपाल करवाने का जिला कलक्टर से अनुरोध किया। इस पर जिला कलक्टर ने तत्काल ही सीईओ जिला परिषद् से दुरभाष पर संवाद करते हुए गांव में अतिक्रमण हटवाने एवं साफ-सफाई हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देष प्रदान करने के लिए निर्देषित किया। साथ ही रात्रि चौपाल के लिए भी ग्रामवासियों को आष्वस्त किया। चिकित्सालय में पहुंचे राजस्व गांव रंगेला की ग्राम पंचायत उटिया निवासी मुकेश तथा सरपंच बंशीलाल ने परिवेदना दी, की उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बीस किलो गेहूं ही दिया गया जबकि बायोमैट्रिक तीन बार करवाया गया तथा तीन माह की जगह एक माह का ही राषन दिया गया। जिला कलक्टर देषलदान ने रसद अधिकारी को जांच करने तथा परिवेदना सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये।

पासुनियां में 60 टेबल सेट भेंट

उदयपुर, (कासं)। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पासुनियां ग्राम पंचायत टांटोल, ब्लॉक-खमनोर में उदयपुर के भामाशाहों की ओर से 60 टेबल और स्टूल सेट भेंट किए गए। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉ. लता चौहान ने भामाशाह रविन्द्र हैरियर प्रा.लि. की ओर से किए गए इस उदारपूर्ण व परोपकारी पहल के लिए आभार जताया। एसडीएमसी सदस्यों व ठामीणों ने भी इस कार्य की सराहना की। डॉ. लता चौहान ने बताया कि इस संसाधनों के उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को एक सुव्यवस्थित, अनुकूल व सकारात्मक अध्ययन परिवेश मिलेगा जो विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि के साथ शैक्षिणक अभिरूचि व सीखने की क्षमता को बढाएगा।

हजारों लीटर वॉश व भट्टियां की नष्ट

उदयपुर, (कासं)। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए एक से 15 मई 2026 तक चलाए जा रहे विषेष निरोधात्मक अभियान के तहत नाकाबंदी, गष्त, रेड की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेष में विभिन्न जिलों में अवैध मदिरा जब्त करते हुए हजारों लीटर वॉश नंष्ट कर नियमानुसार अभियोग दर्ज किए।

आबकारी आयुक्त श्री मेहता के निर्देषानुसार अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रषासन अनिल कुमार शर्मा के सुपरविजन में जारी विषेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की षराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। बांसवाडा जिले में आबकारी थाना क्षेत्र बांसवाडा एवं कुषलगढ क्षेत्र में दबिष की कार्रवाई करते हुए 2 हजार लीटर वॉष नष्ट करते हुए 42 बोतल अवैध हथकड शराब की जब्त की गई। मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार चित्तौडगढ के आबकारी थाना क्षेत्र निम्बाहेडा में गष्त व दबिष की कार्रवाई में 100 लीटर वॉष एवं एक चालू चूल्हा भट्टी को नष्ट किया गया। मौके से 10 बोतल अवैध हथकड शराब की बरामद कर नियमानुसार अभियोग दर्ज किया। हनुमानगढ के हथकड प्रभावित क्षेत्र अमरपुरा थेडी से ढालिया में मुखबिर की सूचना पर मोटरसाईकल पर परिवहन करते 55 लीटर अवैध हथकड शराब जब्त की। आरोपी मौके से फरार हो गया अभियोग दर्ज कर अठिम कार्रवाई जारी है। ब्यावर में आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई में 200 लीटर वॉष नष्ट कर 27 बोतल अवैध हथकड शराब बरामद की गई। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार अभियोग दर्ज किया।

प्रदेष के समस्त जिलों में भी विषेष निरोधात्मक अभियान के तहत नाकाबंदी, दबिश व सघन गष्त की जा रही है। समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, आबकारी उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी निरोधक दल द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही की जा रही है।

डूंगरपुर में सूने मकान से लाखों के जेवर व नगदी पार

डूंगरपुर, (निसं)। शहर के सोनिया चौक स्थित एक रिहायशी मकान में अज्ञात बदमाशों ने घर का दरवाजा खोल कर अंदर पड़े सारे सामान को बिखेर दिया और उसमें सोने-चंदी के आभूषण तथा लाखों की नगदी चुराकर ले गए। घटना के समय पीड़ित कुछ ही दूरी पर स्थित अपनी दुकान पर कार्यरत था। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जयराज श्रीमाल पुत्र कन्हैयालाल श्रीमाल जो कि सोनिया चौक में घर से कुछ ही दूरी पर किराणा की दुकान चलाता है तथा उसकी पत्नी विगत दो माह से उसकी पुत्री की प्रसूति होने के कारण उसके पास गई हुई थी।

घर पर वह अकेला ही था तथा किराणा का अधिकांश सामान घर पर ही रखता था, जिसके कारण मुख्य दरवाजे पर तो केवल कुंडा ही लगाता था, जबकि अंदर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दोपहर में जब वह घर पर गया तो खिड़की खुली हुई थी और बाहर पड़ी पैंट में से नगदी गायब थी और अंदर के दरवाजे पर ताला यथावत लगा हुआ होने कारण उस समय तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम को जब दुकान बंद करके घर गया और भीतर का दरवाजा खोला तो सारा सामान बिखरा हुआ था तथा लगभग 2.70 लाख रुपए अलमारी में पड़े व 28000 से अधिक पैंट में पड़े रुपये गायब थे। उसके अलावा लगभग साढे तीन किलो चांदी के आभूषण तथा 15 तोला सोने के आभूषण गायब थे। इतना सारा नुकसान देखकर फरियादी घबरा गया तथा तत्काल जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा प्रार्थी से नगदी व चोरी के समान की लिखित रिपोर्ट ली।

दो गिरफ्तार

उदयपुर,(कासं)। गोगुन्दा थाना पुलिस ने ऑपेरशन त्रिनेत्र अभियान के दौरान अवैध गांजे से भरी कार जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गोगुन्दा थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान कार को रोक तलाशी ली तो उसमें 5 किलों 44 ग्राम अवैध गांजा मिला। इस पर हरिराम पुत्र लालाराम निवासी शोभावास सायरा व साथी मनीष निवासी नान्देशमा गोगुन्दा को गिरफ्तार किया।

लूट के मामले में आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। बाघपुरा थाना पुलिस ने लूट के मामले में तीन माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार25 जनवरी 26 को किशनलाल पुत्र नानालाल निवासी बाल्वी बाघपुरा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि23 जनवरी को मोड़ासा से मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहा था। खाटी कमदी के समीन नाड़ा नामक स्थान पर पिछे से बाइक पर आए तीन बदमाशों ने मुझे रोक कर मारपीट की तथा तलवार मार कर मेरा मोबाईल, 12 हजार रूपये नकदी लूट ले गए।

इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक विवेकसिंह के सुपरजिवन में बाघपुरा थानाधिकारी वेलाराम मय टीम ने कार्यवाही करते हुए राजीवर पुत्र प्रकाशचन्द्र निवासी उपली गोरण बाघपुरा को गिरफ्तार किया। पूर्व में इस मामले में विधी से संघर्षरत दो बाल अपचारी डिटेन हो चुके हैं।

हनीट्रेप मामले में महिला सहित दो गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। सुखेर थाना पुलिस ने हनी ट्रेप में फसा कर पीडित की सोने की चेन व नकदी लूट के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से लूटा गया माल व वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश यादव के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में टीम ने हनी ट्रेप में फंसा कर लूट, अपहरण व फिरौती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी हिम्मत सिंह पुत्र फतह सिंह निवासी छातरड़ी झाड़ोल व अनु उर्फ चेरी पुत्री भेरूलाल पत्नी सत्यनारायण निवासरी टीडवास बरखेड़ा मंदसोर एमपी हॉल सर्वऋतु विलास को गिरफ्तार किया। सुखेर थाना क्षेत्र भेरवगढ रोड़ के पास फार्म हउस में पीडित को हनी ट्रेप में फंसा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

इस मामले में अनु ने सोशल मीडिया पर पीडित से दोस्ती कर अपने साथियों के साथ साजिश रच कर पीडित से मिलने के लिए फार्म हाउस पर गए। इस दौरान लूट की वारदात को अंजाम देकर उसका अपहरण कर सोने की चेन एवं पचास हजार रूपये लूटने के बाद दूसरे दिन छोड़ कर फरार हो गए थे। इस पर पीडित ने प्रकरण दर्ज करवाया था। आरोपी हिम्मतसिंह के खिलाफ दो अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

कार्यालय ग्राम पंचायत मोतीदा
पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक : ग्रा.पं. मोतीदा/स्वामित्व/2026-2027/07 दिनांकः 30/04/2026

-: आम सूचनाः-

स्वामित्व योजना ड्रोन एवं सर्वेक्षण कार्य के सबन्ध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस (उजरदारी पत्र) स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की समयावधि में पट्टा वितरण हेतु राज, पंचायतीराज नियम- 1996 के नियम-148 के परन्तुक के प्रावधान अनुसार 07 दिवस (1) जरिये हाजा इश्तियार के आप राजस्व ग्राम ओपाखेड़ा, डांगियों का खेड़ा, ग्रा.प. मोतीदा, पं.स.भीण्डर, जि. उदयपुर के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वामित्व योजना के आबादी भूमि के सीमाज्ञान ड्रोन सर्वे के पश्चात ग्रा.प. को भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप 2.0 प्राप्त है प्राप्त ड्रोन इमेज एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य का आम जन के अवलोकन हेतु सर्वेक्षण कार्य व ड्रोन इमेज मैप-2.0 का प्रकाशन (चस्पागी) निम्न सदृश्य स्थल पर किया जाता है।

(1) राजीव गांधी सेवा केन्द्र मोतीदा, नोटिस बोर्ड
(II) आम चौराहा- ओपाखेड़ा, डांगियों का खेड़ा

यदि आबादी भूमि ड्रोन ईमेज मेपः 2.0 एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य में यदि किसी आमजन को किसी भी प्रकार से आपत्ति हो तो इस कार्यालय को कार्यालय समय में लिखित मय कारण के आपति पत्र मय साक्ष्य के साथ- 07 दिन के भीतर प्रेषित करें बाद मियाद गुजर जाने पर प्रेषित आपति अमान्य रहेगी निर्धारित अवधि में कोई आपति दर्ज नहीं होने पर योजना के दिशा निर्देश अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी सो सूचित रहे। यह आक्षेप आमंत्रण नोटिस आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर के साथ जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मोतीदा
पंचायत समिति भीण्डर

कार्यालय ग्राम पंचायत हिंता
पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक : ग्रा.पं. हिंता/स्वामित्व/2026-2027/13 दिनांकः 30/04/2026

-: आम सूचनाः-

स्वामित्व योजना ड्रोन एवं सर्वेक्षण कार्य के सबन्ध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस (उजरदारी पत्र) स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की समयावधि में पट्टा वितरण हेतु राज, पंचायतीराज नियम- 1996 के नियम-148 के परन्तुक के प्रावधान अनुसार 07 दिवस (1) जरिये हाजा इश्तियार के आप राजस्व ग्राम शक्तावतों का खेड़ा, ग्रा.प. हिंता, पं.स.भीण्डर, जि. उदयपुर के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वामित्व योजना के आबादी भूमि के सीमाज्ञान ड्रोन सर्वे के पश्चात ग्रा.प. को भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप 2.0 प्राप्त है प्राप्त ड्रोन इमेज एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य का आम जन के अवलोकन हेतु सर्वेक्षण कार्य व ड्रोन इमेज मैप-2.0 का प्रकाशन (चस्पागी) निम्न सदृश्य स्थल पर किया जाता है।

(1) राजीव गांधी सेवा केन्द्र हिंता, नोटिस बोर्ड
(II) आम चौराहा- शक्तावतों का खेड़ा

यदि आबादी भूमि ड्रोन ईमेज मेपः 2.0 एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य में यदि किसी आमजन को किसी भी प्रकार से आपत्ति हो तो इस कार्यालय को कार्यालय समय में लिखित मय कारण के आपति पत्र मय साक्ष्य के साथ- 07 दिन के भीतर प्रेषित करें बाद मियाद गुजर जाने पर प्रेषित आपति अमान्य रहेगी निर्धारित अवधि में कोई आपति दर्ज नहीं होने पर योजना के दिशा निर्देश अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी सो सूचित रहे। यह आक्षेप आमंत्रण नोटिस आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर के साथ जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत हिंता
पंचायत समिति भीण्डर

कार्यालय ग्राम पंचायत धारता
पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक : ग्रा.पं. धारता/स्वामित्व/2026-2027/10 दिनांकः 30/04/2026

-: आम सूचनाः-

स्वामित्व योजना ड्रोन एवं सर्वेक्षण कार्य के सबन्ध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस (उजरदारी पत्र) स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की समयावधि में पट्टा वितरण हेतु राज, पंचायतीराज नियम- 1996 के नियम-148 के परन्तुक के प्रावधान अनुसार 07 दिवस (1) जरिये हाजा इश्तियार के आप राजस्व ग्राम गोकुलजी का खेड़ा, खीमावतों का खेड़ा ग्रा.प. धारता, पं.स.भीण्डर, जि. उदयपुर के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वामित्व योजना के आबादी भूमि के सीमाज्ञान ड्रोन सर्वे के पश्चात ग्रा.प. को भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप 2.0 प्राप्त है प्राप्त ड्रोन इमेज एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य का आम जन के अवलोकन हेतु सर्वेक्षण कार्य व ड्रोन इमेज मैप-2.0 का प्रकाशन (चस्पागी) निम्न सदृश्य स्थल पर किया जाता है।

(1) राजीव गांधी सेवा केन्द्र धारता, नोटिस बोर्ड
(II) आम चौराहा- गोकुलजी का खेड़ा, खीमावतों का खेड़ा

यदि आबादी भूमि ड्रोन ईमेज मेपः 2.0 एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य में यदि किसी आमजन को किसी भी प्रकार से आपत्ति हो तो इस कार्यालय को कार्यालय समय में लिखित मय कारण के आपति पत्र मय साक्ष्य के साथ- 07 दिन के भीतर प्रेषित करें बाद मियाद गुजर जाने पर प्रेषित आपति अमान्य रहेगी निर्धारित अवधि में कोई आपति दर्ज नहीं होने पर योजना के दिशा निर्देश अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी सो सूचित रहे। यह आक्षेप आमंत्रण नोटिस आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर के साथ जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत धारता
पंचायत समिति भीण्डर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)
नोटिस

पत्रावलीसंख्या:-254/2026/3205 दिनांक-29.4.26
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियों का (समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

चूकि श्री मनोहर सिंह अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा-17 (2) के अन्तर्गत श्री चारभुजा ट्रस्ट, कमेटी, सुन्दरपुरा, ग्राम पंचायत केदारिया तहसील-भीण्डर, जिला-उदयपर प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। ओर यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 29.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आगामी पेशी तारीख 20.07.26 की रखी गयी है।

मुहर
(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/तामिर/2026/16867 दिनांक :20.1.2026

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुद्वा/पट्टा शुद्वा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर भवन निर्माण में कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति कापता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्रीमती माला सिंह पिता श्री नारायण सिंह निवासी-सुभाष नगर खानपुर रोड, अजमेर	भूखण्ड संख्या-36 क्षेत्रफल-1134 वर्गफिट, यमुना विहार, बागोल रोड, नाथद्वारा	गली तथा उसके आगे भूखण्ड संख्या-35	भूखण्ड संख्या-37	गली उसके आगे श्री भेरूलाल की भूमि	आम रास्ता 40 फिट

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद राजसमन्द
सं. 905 दिनांक: 1.5.26

लोक सूचना

श्री मुकेश पिता श्री जयराम कुमावत निवासी धोईन्दा, श्रीमती वन्दना लौहार पत्नी श्री हुक्मीचन्द लौहार निवासी धोईन्दा, श्रीमती ललिता पत्नी श्री अर्जुनदास वैष्णव निवासी धोईन्दा, श्री प्रिंस टांक पिता श्री भेरूलाल टांक निवासी जलचक्की रोड़ कांकरोली इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र. सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1.	राजसमन्द	धोईन्दा	4325/723 4326/723 4327/723	रकबा 0.0390 हैक्टेयर रकबा 0.0166 हैक्टेयर रकबा 0.0952 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 1.5.26 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपरिषद, राजसमन्द

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)
नोटिस

पत्रावलीसंख्या:-183/2026/1838 दिनांक-2.4.26
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियों का श्री रमेशचन्द्र कुदाल, अध्यक्ष श्री जैन शिक्षण संघ, कानोड़

चूकि श्री रमेश चन्द्र कुदाल, अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा-17 (2) के अन्तर्गत श्री जैन शिक्षण संघ, कानोड़ उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। ओर यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 02.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आगामी पेशी तारीख 09.06.26 की रखी गयी है।

मुहर
(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)
नोटिस

पत्रावलीसंख्या:-162/2026/1501 दिनांक: 9.3.26
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियों का डॉ. नरेन्द्र कुमार धींग कार्याध्यक्ष एवं संचालक जवाहन विद्यापीठ, कानोड़

चूकि डॉ नरेन्द्र कुमार धींग, कार्याध्यक्ष एवं संचालक ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा-17 (2) के अन्तर्गत जवाहर विद्यापीठ, कानोड, केन्द्रीय कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास, कानोड़, जिला उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। ओर यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 09.03.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आगामी पेशी तारीख 20.05.26 की रखी गयी है।

मुहर
(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत बग्गड़
पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक : ग्रा.पं. बग्गड़/स्वामित्व/2026-2027/08 दिनांकः 30/04/2026

-: आम सूचनाः-

स्वामित्व योजना ड्रोन एवं सर्वेक्षण कार्य के सबन्ध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस (उजरदारी पत्र) स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की समयावधि में पट्टा वितरण हेतु राज, पंचायतीराज नियम- 1996 के नियम-148 के परन्तुक के प्रावधान अनुसार 07 दिवस (1) जरिये हाजा इश्तियार के आप राजस्व ग्राम तलाई, ग्रा.प. बग्गड़, पं.स.भीण्डर, जि. उदयपुर के समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि स्वामित्व योजना के आबादी भूमि के सीमाज्ञान ड्रोन सर्वे के पश्चात ग्रा.प. को भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप 2.0 प्राप्त है प्राप्त ड्रोन इमेज एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य का आम जन के अवलोकन हेतु सर्वेक्षण कार्य व ड्रोन इमेज मैप-2.0 का प्रकाशन (चस्पागी) निम्न सदृश्य स्थल पर किया जाता है।

(1) राजीव गांधी सेवा केन्द्र बग्गड़, नोटिस बोर्ड
(II) आम चौराहा- तलाई

यदि आबादी भूमि ड्रोन ईमेज मेपः 2.0 एवं ग्राम स्तरीय सर्वे समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य में यदि किसी आमजन को किसी भी प्रकार से आपत्ति हो तो इस कार्यालय को कार्यालय समय में लिखित मय कारण के आपति पत्र मय साक्ष्य के साथ- 07 दिन के भीतर प्रेषित करें बाद मियाद गुजर जाने पर प्रेषित आपति अमान्य रहेगी निर्धारित अवधि में कोई आपति दर्ज नहीं होने पर योजना के दिशा निर्देश अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी सो सूचित रहे। यह आक्षेप आमंत्रण नोटिस आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर के साथ जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बग्गड़
पंचायत समिति भीण्डर